भारत सरकार

गृह मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या †596

दिनांक 25.06.2019/4 आषाढ़,1941 (शक) को उत्तर के लिए

भीड़ द्वारा भगदड़/हिंसा

†596. श्री राहुल रमेश शेवलेः
श्री भर्तृहरि महताबः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में विभिन्न धार्मिक स्थलों**,** रेलवे स्टेशनों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ द्वारा भगदड़/हिंसा की घटनाओं का ब्यौरा क्या है और विगत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और वर्तमान वर्ष में ऐसी घटनाओं में मारे गए/घायल व्यक्तियों की संख्या कितनी है**;**

(ख) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच की है और यदि हां**,** तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसका परिणाम क्या है**;**

(ग) उक्त अवधि के दौरान ऐसी भगदड़/हिंसा के पीड़ितों के परिवारों को प्रदान की गई वित्तीय सहायता का राज्य-वार ब्यौरा क्या है**;** और

(घ) भविष्य में ऐसे घटनाओं को रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या अन्य कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं**?**

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी किशन रेड्डी)

(क): पिछले तीन वर्षों के दौरान सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ द्वारा भगदड़/हिंसा के संबंध में विशिष्ट सूचना राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के पास उपलब्ध नहीं है। पिछले तीन वर्षों के दौरान रेलवे स्टेशनों पर भीड़ द्वारा भगदड़/हिंसा की घटनाओं और ऐसी घटनाओं में मारे गए/घायल हुए व्यक्तियों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

अवधि	रेलवे स्टेशनों पर भीड़ द्वारा भगदड़/ हिंसा की घटनाओं की संख्या	ऐसी दुर्घटनाओं में घायल हुए व्यक्तियों की संख्या	ऐसी घटनाओं में मारे गए व्यक्तियों की संख्या
2016	23	5	0
2017	10	43	23
2018	15	49	2

(ख): संविधान के प्रावधानों के अनुसार, लोक व्यवस्था और पुलिस राज्य के विषय हैं। संबंधित राज्य सरकारें धार्मिक स्थानों और रेलवे स्टेशनों सहित सार्वजानिक स्थानों पर सुरक्षा तथा कानून और व्यवस्था के लिए प्राथमिक रूप से जिम्मेदार हैं। उनके द्वारा भगदड़ की घटनाओं की जांच और उचित उपचारात्मक कार्रवाई किया जाना अपेक्षित है। कुछ मामलों में, रेलवे स्टेशनों पर भगदड़ की घटनाओं की रेलवे द्वारा जांच की गई है।

(ग) और (घ): भगदड़ और भीड़ द्वारा हिंसा की घटनाओं में घायल और मृतकों के परिवारों को वित्तीय सहायता सहित राहत प्राथमिक रूप से राज्य सरकारों द्वारा प्रदान की जाती है।

भारत सरकार समय-समय पर राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को भीड़ के प्रबंधन तथा धार्मिक स्थलों, रेलवे स्टेशनों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर जाने वाले लोगों की सुरक्षा और संरक्षा के संबंध में परामर्शी पत्र जारी करती है। रेलवे सुरक्षा बल, रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की सुरक्षा और संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र पुलिस द्वारा किए गए उपायों में सहायता प्रदान करता है।

******